

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,
कला संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी-विंग, सातवां तल, आई पी एस्टेट, दिल्ली सचिवालय,
नई दिल्ली

फा.स. 6(23)/2018/क.स.एवं भा./ 2466

दिनांक: 4/6/2018

सेवा में,

उप सचिव (प्रश्न शाखा),
दिल्ली विधान सभा सचिवालय,
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,
पुराना सचिवालय, दिल्ली -110054

विषय: दिनांक 08.06.2018 को उत्तर के लिए सुश्री भावना गौड़, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा उठाया गया विधान सभा अतारांकित प्रश्न स.155 ।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर प्रश्न शाखा, दिल्ली विधान सभा का दिनांक 28.05.2018 का पत्र/email इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। सुश्री भावना गौड़, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा किये गए विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 155 के संदर्भ में मांगी गई सूचना एवं उत्तर संलग्न है।

माननीय उप-मुख्यमंत्री व मंत्री (कला संस्कृति एवं भाषा) की पूर्व अनुमति अनुसार उचित कार्यवाही हेतु आपको अग्रसारित किया जा रहा है।

भवदीय
मधु शर्मा

(मधु बाला शर्मा)

उप- नियंत्रक लेखा / कार्यालयाध्यक्ष (क.स एवं भा.)

दूरभाष: 23392307

संलग्न: उपरोक्तानुसार (100 प्रतियां)

फा.स. 6(23)/2018/क.स.एवं भा./

दिनांक:

प्रतिलिपि:

1. विशेष कार्य अधिकारी, कार्यालय उप-मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली -110002
2. निदेशक, सूचना एवं प्रचार निदेशालय, पुराना सचिवालय, ब्लॉक-9, दिल्ली-110054 - अतारांकित प्रश्न संख्या 155 के संदर्भ में मांगी गई सूचना एवं उत्तर की 150 प्रतियां संलग्न हैं

मधु शर्मा

(मधु बाला शर्मा)

उप- नियंत्रक लेखा / कार्यालयाध्यक्ष (क.स.एवं भा.)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार,
कला संस्कृति एवं भाषा विभाग,
सी-विंग , सातवां तल, आई पी एस्टेट, दिल्ली सचिवालय,
नई दिल्ली

अतारांकित प्रश्न स. 155
दिनांक: 08.06.2018
प्रश्नकर्ता का नाम : सुश्री भावना गौड़, माननीय सदस्य विधान सभा

क्या कला, संस्कृति एवं भाषा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

| प्रश्न संख्या | अतारांकित प्रश्न | विभाग में उपलब्ध सूचना के आधार पर संभावित उत्तर |
|---------------|---|--|
| 155 | | |
| (क) | नए पुस्तकालय खोलने की क्या प्रक्रिया है | <p>विभाग के पैटर्न ऑफ़ असिस्टेंस के अनुसार दिल्ली के सभी विधान सभा क्षेत्रों में अधिकतम 02 पुस्तकालय खोलने की व्यवस्था है । नया पुस्तकालय खोलने हेतु विभाग द्वारा एनजीओ /आरडब्ल्यूए को रु. 1,03,000/- व उसके बाद सञ्चालन हेतु प्रति वर्ष रु.40,000/- दो समान किशतों में दिए जाते हैं, जिसमें से 70% किताबें व समाचार पत्र खरीदने हेतु व 30 % सैलरी पर खर्च किया जाना चाहिए । नया पुस्तकालय खोलने के लिए कोई भी एनजीओ /आरडब्ल्यूए आवेदन कर सकता है परन्तु सम्बंधित विधान सभा क्षेत्र के विधायक की संस्तुति आवश्यक है , पुस्तकालय में कम से कम 30 व्यक्तियों के बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए, समाचार पत्र, मैगज़ीन आदि रखने की व्यवस्था होनी चाहिए, बिजली- पानी की उचित व्यवस्था होनी चाहिए व साफ़-सफाई का प्रबंध भी होना चाहिए । पैटर्न ऑफ़ असिस्टेंस की प्रति संलग्न है ।</p> <p>इसके अतिरिक्त हिंदी अकादमी भी पुस्तकालय खोलने के लिए योगदान करती है । संस्था जिसके पास भवन की व्यवस्था (बिजली-पानी) तथा स्थानीय विधायक से प्रस्ताव पास कर अकादमी के कार्यालय में भिजवाने के उपरांत अकादमी की कार्यकारिणी समिति के अनुमोदन के उपरांत पुस्तकालय खोला जा सकता है ।</p> <p>है ।</p> |

| | | |
|-----|--|---|
| (ख) | <p>विभिन्न अकादमियों द्वारा कितने पुस्तकालय कहाँ-कहाँ चल रहे हैं, पूर्ण विवरण दें।</p> | <p>हिंदी अकादमी: हिंदी अकादमी द्वारा 12 पुस्तकालयों का सञ्चालन किया जा रहा है। सूची इस प्रकार है :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. मदन मोहन मालवीय सन्दर्भ पुस्तकालय, हिंदी अकादमी मुख्यालय, पदम् नगर, किशन गंज, दिल्ली-110007। 2. हिंदी प्रसार केंद्र, लखनऊ रोड, मंडल कार्यालय, शिक्षा विभाग, दिल्ली सरकार, दिल्ली। 3. हिंदी प्रसार केंद्र, आर्य समाज मंदिर, नरेला, दिल्ली। 4. हिंदी प्रसार केंद्र, सी-1/10, नगर निगम कार्यालय वे; समीप, कृष्णा नगर, दिल्ली। 5. हिंदी प्रसार केंद्र, सनातन धर्म मंदिर धर्मशाला परिसर, हरिसिंह पार्क, नई मुल्तान नगर, दिल्ली। 6. हिंदी प्रसार केंद्र, पॉकेट बी एंड ई ब्लॉक, समुदाय भवन, दिलशाद गार्डन, दिल्ली। 7. हिंदी प्रसार केंद्र, जिला कारागार, रोहिणी, दिल्ली। 8. हिंदी प्रसार केंद्र, एम.सी.डी. समुदाय भवन, समीप : नृगनयनी चौक, दिलशाद कॉलोनी, दिल्ली। 9. हिंदी प्रसार केंद्र, समुदाय भवन मेहराम नगर, पालम, दिल्ली कैंट नई दिल्ली 10. हिंदी प्रसार केंद्र, समुदाय भवन हिरणकूदना, मुंडका, दिल्ली। 11. हिंदी प्रसार केंद्र, नंगली सकरावती, आनंद विहार, दिल्ली। 12. हिंदी प्रसार केंद्र, जिला कारागार, मंडोली, दिल्ली। <p>सिंधी अकादमी: अकादमी के कार्यालय, सी. पी. ओ. ब्रिडिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली- 110006 में एक पुस्तकालय का सञ्चालन किया जा रहा है।</p> <p>उर्दू अकादमी : अकादमी के कार्यालय, सी. पी. ओ. ब्रिडिंग, कश्मीरी गेट, दिल्ली- 110006 में एक पुस्तकालय का सञ्चालन किया जा रहा है।</p> <p>संस्कृत अकादमी: अकादमी द्वारा प्लॉट न. 5, झंडेवाला न, करोल बाग में संस्कृत पुस्तकालय संचालित किया जाता है।</p> <p>पंजाबी अकादमी: सूची संलग्न है।</p> <p>मैथिली-भोजपुरी अकादमी: मैथिली-भोजपुरी अकादमी, दिल्ली का एक मात्र पुस्तकालय है जो कार्यालय परिसर आर्पूरी भवन, आराम बाग, नई दिल्ली - 110055 में ही है।</p> <p>डॉ.गोस्वामी गिरधारी लाल शास्त्री प्राच्य विद्या प्रतिष्ठानम: प्रतिष्ठान के कार्यालय प्लॉट नंबर 5, झंडेवाला न, करोल बाग, नई दिल्ली में एक पुस्तकालय संचालित है</p> |
|-----|--|---|

| | | |
|-----|--|--|
| (ग) | यह सत्य है कि प्राइवेट भूमि पर भी लाइब्रेरी खोलने पर सरकार विचार कर रही है; और | विभाग के पैटर्न ऑफ़ असिस्टेंस के अनुसार दिल्ली के सभी विधान सभा क्षेत्रों में अधिकतम 02 पुस्तकालय खोलने की व्यवस्था है। इस योजना के तहत इस विभाग द्वारा पुस्तकालय स्थापित नहीं किया जाता अपितु नया पुस्तकालय खोलने हेतु विभाग द्वारा एनजीओ /आरडब्ल्यूए को रु. 1,03,000/- व उसके बाद सञ्चालन हेतु प्रति वर्ष रु.40,000/- दो समान किशतों में दिए जाते हनया पुस्तकालय खोलने के लिए कोई भी एनजीओ /आरडब्ल्यूए आवेदन कर सकता है परन्तु सम्बंधित विधान सभा क्षेत्र के विधायक की संस्तुति आवश्यक है। |
| (घ) | ग्राम सभा की जमीन या डीडीए की भूमि पर पुस्तकालय खोलने की क्या प्रक्रिया है ? | |

मनीषा
4.6.2018

(मनीषा सकाना)
सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

78

GOVERNMENT OF N.C.T. OF DELHI

ART, CULTURE & LANGUAGE DEPARTMENT

**THE PATTERN OF ASSISTANCE OF GRANT-IN-AID TO NGOs FOR
OPENING OF LIBRARY IN ALL ASSEMBLY CONSTITUENCIES UNDER
PLAN HEAD.**

Preamble

With a view to inculcate the reading habits amongst the public in general and younger population in particular amongst the weaker section of the society. The Govt. of NCT of Delhi decided to provide library facilities in all Assembly Constituencies. Under this scheme, minimum 1 library and maximum 2 libraries are required to be provided in each of 70 constituencies of Delhi Legislative Assembly under the Bhagidari Scheme. The NGOs who are associated with the Scheme are required to provide sufficient accommodation for 30 readers at a time and also for display of Newspapers, Magazines, Periodicals etc. The NGOs are also required to provide furniture and fixture according to the need of the readers. It is also ensured that there are healthy and hygienic conditions for the readers in the library.

1. Terms & Conditions of Opening of Libraries:

- (a) These Rules will govern the grant-in-aid to NGOs registered under Societies Registration Act, 1860.
- (b) Each application for opening of Library shall be submitted by the NGO along with letter of recommendation of the concerned MLA of the area in which the library is proposed to be opened.
- (c) Time limit for receiving applications for opening new libraries and release of GIA will be 30th September, 2002 in prescribed Performa.

2. The society will provide accommodation for opening a library where;

- a) One room of adequate size to accommodate minimum 30 readers at a time is made available.
- b) Sufficient space for display of newspapers, journals, magazines etc. is also available.
- c) Cross-ventilation with proper healthy and hygienic condition is available
- d) Proper arrangements of electricity should be there, so that it could be used in all seasons and weathers.

3. **Quantum of Grant:**

The Grant-in-aid to the NGOs shall be as under in any financial year subject to availability of funds:-

- a) In the first year, each NGO will be sanctioned grant-in-aid @ Rs.1.03 lakh in two equal installments. 40% of the grant is to be spent on furniture and fixture and 40% to be spent on reading material, newspapers, magazines and remaining 20% will be spent for honorarium to staff. In the subsequent years, each NGO will be sanctioned grant-in-aid upto Rs.40,000/- per year in two equal installments out of which 70% will be spent for purchase of magazines and New papers and the remaining 30% will be spent for honorarium of staff. The above mentioned funds will be sanctioned subject to availability of funds.
- b) In any year, the level of grant will not exceed the budget allotment for NGOs as sanctioned by the Govt. of N.C.T. of Delhi including the revised budget allocation if any and will be utilised against items/schemes that already stand approved by the Govt. of N.C.T. of Delhi.
- c) For expenditure on new items/schemes/any unforeseen items prior approval of Govt. of N.C.T. of Delhi will be necessary.

- (7)
- d) The books and furniture for the libraries may also be supplied by the Govt. of NCT of De hi under the centrally sponsored scheme of "Raja Ram Mohan Rai Library Foundation" for setting up libraries.

4. Applications for Grants:

Application for grant in prescribed Performa shall be submitted to the Language Department with the following documents: -

- i) A utilization certificate in respect of grants received during the previous year.
- ii) An audited statement of accounts for previous financial year giving full details of itemwise expenditure.
- iii) A brief note on the programmes of activities for the current year as well as previous year's activities.
- iv) Similarly, applications for grants for the purchase of equipment/furniture should contain complete details of the equipment/furniture desired to be purchased together with full justification, estimates of cost and the existing stock position.
- v) Any proposed new items of expenditure should be specifically brought to notice so that necessary approval of the Govt. of N.C.T. of Delhi may be obtained.
- vi) Any suppression of facts, mis-statement, false and misleading information furnished to the Language Department will, besides such other action as may be deemed appropriate, render the NGO's ineligible for further grant and liable to refund the grant secured on such basis earlier.

5. General Conditions for sanction of Grants:

All grants sanctioned under these rules shall be subject to the following terms and conditions:-

- i) Before a grant is sanctioned, NGOs shall satisfy the Government, about its aims and objects, financial conditions and satisfactory performance during the preceding year. Its accounts will be open for inspection by any officer as may be authorised in this behalf by Govt. of N.C.T. of Delhi.
- ii) Govt. of NCT of Delhi will not bear any responsibility/liability in respect of staff employed by NGOs.
- iii) The NGO shall refund the grant to the Government in case Government of NCT of Delhi is satisfied that the NGO is not maintaining efficiently or the grant is not utilized for the purpose for which it was sanctioned.
- iv) The NGO if closed or becomes defunct within one year of the receipt of the grant, shall refund the whole or such part of the grant, as may be determined by the Govt. of N.C.T. of Delhi.
- v) The grant, if not actually released, may be reduced, withheld or withdrawn in case the Govt. of N.C.T. of Delhi is satisfied that there has been breach or non-fulfillment of any of the conditions laid down in these rules.
- vi) The assets created by the NGO out of the amounts received as grant-in-aid from the Govt. of India or Govt. of N.C.T. of Delhi shall not be transferred, sold, mortgaged or otherwise disposed off without the prior approval of the granting authority.
- vii) Grants for subsequent years will not ordinarily be sanctioned unless the utilisation certificates of previous grants had/have been duly submitted by the institution and they have been duly accepted by the Language Department after verification.

76

- viii) Any dues from the grantee under these rules shall be recoverable as arrears of land revenue.
- ix) The NGO shall exercise all possible economy in the working especially in respect of expenditure out of the grants received from Govt. of N.C.T. of Delhi / Govt. of India.

6. **Audit:**

All grants shall be subject to the General Financial Rules, 1963 as amended from time to time and they shall be subject to audit by the Examiner, Local Fund Accounts, Govt. of N.C.T. of Delhi. The cost of such audit shall be borne by the concerned NGO.

7. **Execution of Bond:**

Before a grant is released, each NGO shall be required to execute a bond to the President of India to say that, it will abide by the conditions of the grant and in the event of its failing to comply with these conditions or committing a breach of the bond, the grantee will be liable to refund to the President of India, the entire amount of the grant with interest thereon the sum specified under the bond.

PROFORMA FOR SUBMISSION OF PROPOSALS FOR RELEASE OF GRANT-IN-AID FOR NEWLY OPENED PUBLIC LIBRARIES BY NGO

| | | | |
|--------|--|---|--|
| 1 | Name of the NGO | : | |
| (i) | Address of the NGO | : | |
| (ii) | Telephone No. | : | |
| (iii) | Whether Registered under Societies Act, 1860, if yes, Registration No. | : | |
| (iv) | Registration No. | : | |
| 2 | Particulars of the installment 1 st or 2 nd | : | |
| 3 | Quantum of Grant-in-Aid applied for (break up will strictly follow the instructions given in the Pattern of assistance approved by the finance department) | : | |
| (i) | Honorarium to the staff | : | |
| (ii) | Furniture/Fixture | : | |
| (iii) | Newspaper & Magazine | : | |
| (iv) | Other expenditure | : | |
| (v) | No. of Books already available | : | |
| (vi) | List of Newspapers and Magazines already subscribed | : | |
| (vii) | Detail of Staff | : | |
| (viii) | Details of the Furniture available with the NGO | : | |
| 4 | Documents/Certificate required as per Pattern of assistance. | : | |
| (i) | Progress Report | : | |
| (ii) | No. of Visitors/Readers(Monthly) | : | |
| (iii) | Utilization Certificate for the previous year in GFR 19A | : | |

| | | | |
|--------|---|---|--|
| (iv) | Expenditure incurred on libraries in previous financial years (a) Total (b) (b) NGOs own contribution (c) GIA contribution | : | |
| (v) | Audited statements of accounts for releases upto previous year | : | |
| (vi) | Unspent balances upto last year's releases | : | |
| (vii) | Whether unspent balance has already been adjusted/credit yet to be adjusted | : | |
| (viii) | Observation of audit upto the last year | : | |
| (ix) | Comments of Grantee-institution on audit observations | : | |
| 5. | Up-to-date expenditure incurred during this year, with details. | : | |
| 6. | Remarks | : | |

Note: The Financial breakup will follow the guide lines prescribed in the Pattern of Assistance approved by the Finance Department.

.....
Signature and Stamp of the Head of the Institution

Name.....

Tel. No.....

Address.....

.....

.....

.....

.....

दिल्ली सरकार में पंजाबी अकादमी द्वारा संचालित संयुक्त पुस्तकालयों का विवरण

| क्रम सं. | जिला उत्तरी | जिला दक्षिणी | जिला पूर्वी | जिला पश्चिमी | जिला केन्द्र |
|----------|---|--|--|---|--|
| 1 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर प्रताप नगर, दिल्ली-110007 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर फन्त नगर, नई दिल्ली-110014 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर प्रदा बाग, दरियागंज, दिल्ली-110022 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर रामेश्वरी नेहरु नगर, नई दिल्ली-110005 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर गली बांदी बाली पहाड़गंज नई दिल्ली-110055 |
| 2 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर गुड मंडी, दिल्ली-110007 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर डी.डी.फैल्टस गोविन्द पुरी, कालका जी नई दिल्ली-110019 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर दुजाना हाऊस, मटिया महल, दिल्ली-110006 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर तिलक विहार, तिलक नगर नई दिल्ली-110018 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर च. गलियन रोड नई दिल्ली-110006 |
| 3 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर चन्द्रावल कमला नगर, दिल्ली-110007 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर, किलोकरी नई दिल्ली-110014 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर तुर्कमान गेट दिल्ली-110006 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. मार्केट काम्पलेक्स 1040, शिवाजी एन्क्लेव नई दिल्ली-110027 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर सोडनगंज, आर्य पुरा नई दिल्ली |
| 4 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर कटरा मौला बक्स रोशाना रोड दिल्ली-110007 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर सनलाईट कालोनी नई दिल्ली-110014 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर सुन्दर नगरी नियर नंद नगरी, दिल्ली-110093 | संयुक्त पुस्तकालय ओल्ड ऐज होम प्रताप नगर, हरी नगर नई दिल्ली-110064 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर मुकीम पुरा नई दिल्ली-110007 |
| 5 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर चन्द्रशेखर आजाद कालोनी, दिल्ली-110007 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर निजामुद्दीन, ईस्ट दिल्ली-110013 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर मुकेश नगर, शाहदरा दिल्ली-110032 | संयुक्त पुस्तकालय ओल्ड ऐज होम, हरी नगर नई दिल्ली-110064 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर राम बाजार मंडी गेट दिल्ली |
| 6 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर एस. डब्ल्यू सी मंगोलपुरी, दिल्ली-110083 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर दक्षिण पुरी नियर विराट सिनेमा नई दिल्ली-110062 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर गली शहतारा अजमेरी गेट, दिल्ली-110006 | संयुक्त पुस्तकालय ओल्ड ऐज होम, हरी एन्क्लेव, (हरी नगर) नई दिल्ली-110027 | |
| 7 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर सुलतान पुरी, दिल्ली-41 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर गद्दी गांव नियर ई स्ट ऑफ कैलाश नई दिल्ली-24 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर गली सभोसान, फरशा खाना, दिल्ली-110006 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर न्यु रंजीत नगर नई दिल्ली-110008 | |
| 8 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर डी सी रिलीफकैम्प ज्वालापुरी, दिल्ली-110041 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर, कोटला मुबारक पुर, नई दिल्ली-110003 | संयुक्त पुस्तकालय गुरुद्वारा श्रीगुरु सिंह सभा, मांडव नगर, दिल्ली | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर ओल्ड रंजीत नगर नई दिल्ली-110008 | |
| 9 | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर प्रेम नगर, नई दिल्ली | संयुक्त पुस्तकालय, डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर पिलंजी गांव, नियर सरोजनी नगर, नई दिल्ली-110023 | | संयुक्त पुस्तकालय डी.डी.ए. कम्युनिटी सेंटर रैगरपुरा, करोल बाग नई दिल्ली-110005 | |
| 10 | संयुक्त पुस्तकालय गुरुद्वारा श्रीगुरु सिंह सभा जी. टी. बी. नगर, किंग्सवे कैम्प दिल्ली-110009 | संयुक्त पुस्तकालय, जे जे कालोनी कुसुमपुर पहाड़ी, वसंत विहार, नई दिल्ली-110022 | | | |

(Signature)